



2026:AHC:25157

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
रिट - बी सं. - 539 सन् 2026

हैदर अली काजिम उर्फ असद काजिम
बनाम

.....याचिकाकर्ता(गण)

उत्तर प्रदेश राज्य और 2968 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता(गण)	: गुलरेज खान, जावेद हुसैन खान, वरिष्ठ अधिवक्ता
प्रतिवादी के अधिवक्ता(गण)	: आजाद राय, सी.एस.सी.. कमलेश कुमार तिवारी, शिवेन्द्र बहादुर सिंह

न्यायालय सं. - 55

माननीय न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय

1. निजी प्रतिवादी की ओर से दायर लघु जवाबी हलफनामा रिकॉर्ड पर लिया जाता है।
2. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, श्री डब्ल्यू.एच. खान, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गुलरेज खान की सहायता से, श्री अतुल दयाल, श्री कमलेश कुमार तिवारी के साथ-साथ श्री शिवेंद्र बहादुर सिंह, वादी प्रतिवादी संख्या 4 से 7 के विद्वान अधिवक्ता और श्री आजाद राय, प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता- गांव सभा को सुना।
3. मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम, 1950 की धारा 229-बी (इसके बाद "यू.पी.जेड.ए. और एल.आर. अधिनियम" के रूप में संदर्भित) के तहत मुकदमा प्रतिवादियों के पूर्ववर्ती द्वारा दायर किया गया था। उपरोक्त मुकदमे को ट्रायल कोर्ट द्वारा दिनांक 3.8.2023 के निर्णय और डिक्री द्वारा खारिज कर दिया गया था। निचली अदालत के दिनांक 3.8.2023 के निर्णय और डिक्री के खिलाफ, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 207 के तहत अपील के साथ-साथ स्थगन आवेदन आयुक्त के समक्ष दायर किया गया था। उपरोक्त अपील पर सुनवाई की गई और अंततः अतिरिक्त आयुक्त (न्यायिक), प्रयागराज द्वारा दिनांक 24.12.2025 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया। प्रथम अपीलीय न्यायालय के साथ-साथ विचारण न्यायालय के निर्णय और डिक्री के विरुद्ध, प्रतिवादी द्वारा स्थगन आवेदन के साथ दूसरी अपील दायर की गई है। उपरोक्त दूसरी अपील में, याचिकाकर्ताओं ने अपनी कैविएट दायर की है। राजस्व बोर्ड ने दिनांक 19.1.2026 के आक्षेपित आदेश के तहत दिनांक 24.12.2025 और 3.8.2023 के आदेशों के संचालन पर रोक लगा दी और साथ ही पार्टियों को यथास्थिति बनाए रखने और विवादित भूखंड के संबंध में तीसरे पक्ष के हित पैदा न करने का निर्देश दिया। इसलिए निम्नलिखित राहत के लिए यह रिट याचिका:
"1. न्यायिक सदस्य राजस्व बोर्ड, प्रयागराज/प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा दूसरी अपील संख्या 245/2026 (कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या एएल2026024200245) उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 208 के तहत अली काजिम और अन्य बनाम इरशाद काजिम और अन्य में पारित दिनांक 19.01.2026 के आक्षेपित आदेश को रद्द करते हुए उत्प्रेषण की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करें।"
4. याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि न्यायिक कार्यवाही में कोई अंतरिम आदेश/स्थगन आदेश तब तक नहीं दिया जा सकता जब तक कि कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



अंतरिम निषेधाज्ञा देने के लिए तीन तत्व नहीं दिए जाते हैं। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि यू.पी.जेड.ए और एल.आर. अधिनियम की धारा 229-बी के तहत प्रतिवादियों के पूर्ववर्ती द्वारा दायर मुकदमा खारिज कर दिया गया है और अपील में ट्रायल कोर्ट की डिक्री को बनाए रखा गया है, इस प्रकार, दो न्यायालयों के निर्णय और डिक्री पर रोक लगाने के साथ-साथ यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश देने के लिए अंतरिम संरक्षण देने का कोई आधार नहीं है और पार्टियों द्वारा कोई तीसरे पक्ष का हित नहीं बनाया जाना चाहिए। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि पहली अपील के लंबित रहने के दौरान प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा अंतरिम निषेधाज्ञा दी गई थी, तदनुसार याचिकाकर्ता की ओर से दायर रिट याचिका में, अंतरिम निषेधाज्ञा देने के आदेश पर इस न्यायालय द्वारा रोक लगा दी गई है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि अंतरिम राहत के लिए प्रार्थना को खारिज करने के लिए राजस्व बोर्ड के समक्ष याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश किए गए तर्क को राजस्व बोर्ड द्वारा ध्यान में नहीं रखा गया है, इस प्रकार, राजस्व बोर्ड के समक्ष अंतरिम संरक्षण देने वाले आक्षेपित आदेश को रद्द कर दिया जाना चाहिए। उन्होंने आगे अजेंद्र प्रसादजी नरेंद्र प्रसादजी पांडेय बनाम स्वामी के. नारायणदासजी और अन्य (2005) 10 एसपीपी 11 के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को प्रस्तुत किया, ताकि निषेधाज्ञा प्रदान करने के लिए तीन अवयवों पर विचार किए बिना प्रदर्शित किया जा सके, संबंधित न्यायालय द्वारा निषेधाज्ञा दी नहीं जा सकती है।

5. दूसरी ओर, प्रतिवादी संख्या 4 से 7 की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि प्रतिवादियों द्वारा दायर दूसरी अपील को कानून के पर्याप्त प्रश्नों को तैयार करने के बाद स्वीकार कर लिया गया है, इस प्रकार, राजस्व बोर्ड द्वारा दूसरी अपील में अंतरिम आदेश देने में कोई अवैधता नहीं है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि स्वीकृत दूसरी अपील में दिए गए अंतरिम आदेश के खिलाफ किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि यह आवश्यक नहीं है कि दूसरी अपील में अंतरिम आदेश देते समय विस्तृत कारण दिया जाना चाहिए, बल्कि दूसरी अपील में कानून के महत्वपूर्ण प्रश्नों को तैयार करना दूसरी अपील में अंतरिम निषेधाज्ञा/अंतरिम आदेश देने के लिए पर्याप्त है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ताओं ने विचाराधीन भूखंड के संबंध में 9.9.2025 को एक पंजीकृत बिक्री-विलेख निष्पादित किया है, जिसे दिनांक 16.2.2026 के संक्षिप्त जवाबी हलफनामे के साथ संलग्न किया गया है, इस प्रकार, न्यायालय के समक्ष मुकदमे के लंबित रहने के दौरान विवादित संपत्ति की रक्षा के लिए अंतरिम सुरक्षा आवश्यक है। उन्होंने अपने तर्क के समर्थन में 1982 (3) एससीसी 484, मूल चंद यादव बनाम राजा बुलंद शुगर कंपनी लिमिटेड में रिपोर्ट किए गए सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया।

6. मैंने पक्षों के लिए विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए गए तर्क पर विचार किया है और अभिलेखों का अवलोकन किया है।

7. इस तथ्य के बारे में कोई विवाद नहीं है कि प्रतिवादी के पूर्ववर्ती द्वारा दायर यू.पी.जेड.ए और एल.आर. अधिनियम की धारा 229-बी के तहत मुकदमा ट्रायल कोर्ट द्वारा खारिज कर दिया गया है और ट्रायल कोर्ट की डिक्री को पहली अपील में बरकरार रखा गया है। इस तथ्य के बारे में भी कोई विवाद नहीं है कि निजी प्रतिवादी द्वारा दायर दूसरी अपील को स्वीकार कर लिया गया है और अंतरिम संरक्षण प्रदान किया गया है।

8. यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि यू.पी.जेड.ए. और एल.आर. अधिनियम की धारा 229-बी के तहत मुकदमा ट्रायल कोर्ट द्वारा खारिज कर दिया गया है और अपील में डिक्री को बनाए रखा गया है, इस तरह, राजस्व बोर्ड को दूसरी अपील में अंतरिम निषेधाज्ञा/अंतरिम आदेश देने के कारणों को दर्ज करना

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



चाहिए, खासकर जब विरोधी पक्षों ने अंतरिम आदेश देने के खिलाफ उपस्थिति दर्ज की हो और आपति उठाई हो।

9. याचिकाकर्ता की ओर से यह तर्क भी दिया गया है कि बाहरी विचार के कारण अंतरिम आदेश राजस्व बोर्ड के विद्वान सदस्य द्वारा पारित किया गया है, जो 31.1.2026 को सेवानिवृत्त हो गए हैं, निजी प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि बाहरी विचार के लिए कोई सामग्री नहीं है क्योंकि इस तरह के तर्क की गलत कल्पना की गई है।

10. मामले के संपूर्ण तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, प्रतिवादी संख्या 3/राजस्व बोर्ड द्वारा पारित दिनांक 19.1.2026 के आक्षेपित आदेश का वह हिस्सा जिसके द्वारा तत्काल रिट याचिका के प्रतिवादी के पक्ष में अंतरिम आदेश/अंतरिम निषेधाज्ञा दी गई है, को रद्द किया जा सकता है और इसे एतद्वारा रद्द कर दिया जाता है। दिनांक 19.1.2026 के आक्षेपित आदेश का वह हिस्सा, जिसके द्वारा कानून के पर्याप्त प्रश्नों को तैयार करने के बाद दूसरी अपील स्वीकार की गई है, एतद्वारा बनाए रखा जाता है।

11. रिट याचिका आंशिक रूप से स्वीकृत की जाती है।

12. प्रतिवादी संख्या 3/राजस्व बोर्ड, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज को निर्देश दिया जाता है कि वह दोनों पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने और दूसरी अपील में अंतरिम आदेश के अनुदान/इनकार के आदेश के समर्थन में कारण दर्ज करने के बाद प्रतिवादी (राजस्व बोर्ड के समक्ष दूसरी अपील के अपीलकर्ता) द्वारा दायर अंतरिम राहत/अंतरिम निषेधाज्ञा के आवेदन पर विचार करे। राजस्व बोर्ड इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तारीख से तीन सप्ताह की अवधि के भीतर अंतरिम राहत के संबंध में उपरोक्त अभ्यास को समाप्त करेगा।

फरवरी 17, 2026

(न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"